प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.06.2021 जनपद देवरिया।

एक अभियुक्त एन0एस0ए0 के तहत निरूद्ध।

जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के क्रम में निरूद्ध

दिनांक 26.06.2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान अभियुक्त के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर का गेट तोड़ने का प्रयास किया गया एवं उपद्रवी द्वारा हिंसात्मक रुप ले लिया गया जिससे क्षेत्र के लोगो में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा लोक व्यस्था छिन्न-भिन्न हो गयी ।जिसके सम्वन्ध में वादी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री राजू सिंह द्वारा थाना कोतवाली में मु0अ0सं0-349/2021 धारा-147,332,353,504,506,188,269, भादंसं व 7 सीएलए ऐक्ट व 51 (बी) आपदा प्रवन्ध अधिनियम का अभियोग कायम किया गया।

उक्त घटना में मुख्य अभियुक्त अभिजित यादव पुत्र नागेन्द्र यादव निवासी कारकेट थाना बनकटां, देवरिया के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 29.6.2021 को जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा उक्त अभियुक्त को एन0एस0ए0 के तहत निरूद्ध किया गया।